

## वोटर आई.डी. (डुप्लीकेट)

ऐसे व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम हो, किन्तु किन्हीं कारणवश मतदाता कार्ड नहीं हो, वे राशि रू. 25 जमा कर नवीन मतदाता कार्ड बनवा सकते हैं ।

संपर्क :- जिला कलेक्टर या उपजिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम